संख्या 234/23-14-2011-06 आ०जि०यो०(न०)/13टी०सी० 3

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग 14 लखनऊः दिनाँक 25 फरवरी, 2014

विषयः वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–58 के अधीन जिला योजनान्तर्गत नक्सल प्रभावित जनपद–सोनभद्र के अन्तर्गत सतद्वारी प्राइमरी पाठशाला से सरेया कनहर नदी तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई 10.00 किमी० का निर्माण कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय–1), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक–2741नि0/157–01नि0/2013 दिनांक 18.11.2013 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–सोनभद्र के अन्तर्गत सतद्वारी प्राइमरी पाठशाला से सरेया कनहर नदी तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई 10.00 किमी० का निर्माण कराये जाने हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू० 674.65 लाख (रू० छः करोड़ चौहत्तर लाख पैंसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ मनरेगा की धनराशि रू० 58.53 लाख घटाते हुये लो०नि०वि० के अंश की धनराशि रू० 616.12 लाख के सापेक्ष 30 प्रतिशत की धनराशि अर्थात रू० 184.84 लाख (रू० एक करोड़ चौरासी लाख चौरासी हजार मात्र) को अवमुक्त किये जाने की निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) प्रश्नगत कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किये जाये और न ही उन पर कोई व्यय भार ही वहन किया जाये, जब तक स्वीकृत लागत के अंदर प्रश्नगत निर्माण कार्यो के विस्तृत आगणन बनाकर उस पर प्राविधिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा न प्रदान कर दी जाये। कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी तथा स्वीकृत मात्राओं का निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम अधिकारी का होगा तथा कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो एवं कार्य समय से पूर्ण हो, यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(2) [illegible] कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित [illegible] धनराशि किसी भी दशा में बैंकों/ [illegible] नहीं रखी जायेगी, स्वीकृत धनराशि आवश्यकता के [illegible] की जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर [illegible] जायेगी।

(3) [illegible] कार्यों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की [illegible] नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराये [illegible]

(4) [illegible] परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनांक 31.3.2014 तक [illegible] पूर्ण कर लिया जायेगा तथा परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई [illegible] परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(5) [illegible] विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग [illegible] विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण [illegible]

(6) [illegible] स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।

(7) [illegible] धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका सुसंगत प्राविधानों, समय–समय [illegible] द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

[illegible] धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक [illegible] कार्य/मद में किया जायेगा।

[illegible] सुनिश्चित करेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में [illegible] सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(10) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य की [illegible] भविष्य में अन्य योजना में पुनरावृत्ति न हो।

2 अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय–समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि रू0 66.39 लाख वित्त (लेखा) अनुभाग 2 शासनादेश संख्या–ए–2–23/दस–2011–74(4)/75/2011 दिनांक 25 जनवरी, 2011 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार निर्माण लागत में से लागत का 5 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर 12.5 प्रतिशत संगणित अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21 मार्च 2011 के संलग्नक में प्रदर्शित संबंधित विभाग के प्राप्त [illegible] लेखा शीर्षक तथा सेतु 800–अन्य प्राप्तियां–01– प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा किया जायेगा।

3 [illegible] की धनराशि रू0 5.31 लाख इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग [illegible] धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

[illegible] रु0 7.97 लाख सुसंगत लेखाशीर्षक

[illegible] होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक [illegible] के अंतर्गत लेखाशीर्षक-5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत [illegible] 04 जिला तथा अन्य सड़कें–337–सड़क निर्माण कार्य–66– [illegible] क्षेत्रों में ग्रामीण मार्गों तथा लघु सेतुओं के नये निर्माण कार्यों हेतु [illegible] 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

[illegible] आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–ई–8–949/दस–14 [illegible] 24 [illegible] फरवरी 2014 द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(जयराम सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या [illegible] (1)/23–14–2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार प्रथम (निर्माण) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सोनभद्र।
4. मुख्य अभियन्ता (मु0–1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लो0नि0वि0, वाराणसी।
6. अधिशासी अभियन्ता, नि0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8, उ0प्र0 शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग–10
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(काशी प्रसाद तिवारी)
अनु सचिव

(16)

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र द्वारा वनभूमि ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में विकास खण्ड चोपन के अन्तर्गत सतद्वारी प्राइमरी पाठशाला से सरैया कनहर नदी तक सम्पर्क मार्ग के अन्तर्गत आने वाली वनभूमि ओबरा वन प्रभाग के कोन रेन्ज की वन भूमि का दि0 21.06.2014 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है तथा प्रस्तावित वन भूमि 4.83 हेक्टेयर हैं, जो न्यूनतम है।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0,
सोनभद्र

मुख्य विकास अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

संलग्नक–

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र

(उत्तर प्रदेश सरकार)

लागत लाभ विश्लेषण

कार्य का नाम :– जनपद सोनभद्र में सतद्वारी प्राइमरी पाठशाला से सरैया कनहर नदी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

मार्ग की लम्बाई :– 10.00 किमी0

वनभूमि में पड़ने वाले अतिरिक्त मार्ग की लम्बाई:– 6.90 किमी0

कार्य का विवरण:–सतद्वारी प्राइमरी पाठशाला से सरैया कनहर नदी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

योजना का नाम :– नक्सल योजनान्तर्गत ।

वन भूमि

का मूल्यांकन

वनभूमि में पड़ने वाले अतिरिक्त मार्ग की कुल लम्बाई :– 6.90 किमी0

सेतु निर्माण हेतु वाँछित न्यूनतम चौड़ाई :– 7.00 मीटर

अतः कुल वनभूमि क्षेत्र :– 6900x7.00 = 48300वर्ग मी0

चूंकि यह एरिया वन प्रभाग ओबरा की पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है।

अतः वनभूमि का क्षेत्रफल :– 4.83 हेक्टेयर

वनभूमि की लागत :– वनविभाग की निर्धारित दर के अनुसार

लाभ :–

इस योजना का पूर्ण उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र का विकास करना है जिससे नक्सल प्रभावित उत्तर प्रदेश के कई ग्राम जैसे :– भालूकुदर, कचनरवा, रामगढ., नौडिहा, निगाई, सरैयाडीह, केवाल, पिपरखाड., आदि एवं झारखण्ड प्रदेश भी लाभान्वित होगें। प्रस्तावित मार्ग के निर्माण से कोन से जाने का रास्ता सीधा हो जायेगा। इसके फलस्वरूप प्रभावित गॉव के स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं शिक्षा जैस विशेष आवश्यकता हेतु बड़े शहर वाराणसी से जुड जायेगें।

हस्ताक्षर

(इं0 आर0पी0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0,
सोनभद्र

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित कार्य जनपद सोनभद्र में विकास खण्ड चोपन के अन्तर्गत सतद्वारी प्राइमरी पाठशाला से सरैया कनहर नदी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण हेतु यदि कोई वृक्ष प्रभावित होता है तो प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0,
सोनभद्र

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित कार्य जनपद सोनभद्र में विकास खण्ड चोपन के अन्तर्गत सतद्वारी प्राइमरी पाठशाला से सरैया कनहर नदी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण हेतु ओबरा वन प्रभाग (कोन रेन्ज) की प्रस्तावित वनभूमि 4.83 हेक्टेयर है। इस मार्ग के निर्माण होने से बहुत से गॉवों को आने–जाने की सुविधा प्राप्त होगी एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ–साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा। यह कार्य जनहित में कराया जा रहा है।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0,
सोनभद्र

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित कार्य सतद्वारी प्राइमरी पाठशाला से सरैया कनहर नदी तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण होने वाली ओबरा वन प्रभाग की 4.83 हे0 वन भूमि के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नही है।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0
सोनभद्र

मुख्य विकास अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र तथा ओबरा वन प्रभाग के कोन रेन्ज के रेन्जर द्वारा सतद्वारी प्राइमरी पाठशाला से सरैया कनहर नदी तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु निरीक्षण किया गया जिसकी लम्बाई 10.00 किमी0 है जिसमें लम्बाई 6.10 किमी0 एवं क्षेत्रफल 4.83 हेक्टेयर वनभूमि पायी गयी जिसके हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित किया गया है तथा संयुक्त निरीक्षण दिनांक– 21/06/14 को किया गया तथा इसका अन्य कोई विकल्प नहीं पाया गया ।

बीट अधिकारी	सेक्शन अधिकारी	क्षेत्रीय वनाधिकारी कोन वनक्षेत्र, ओबरा,सोनभद्र	अवर अभियन्ता नि0ख0, लो0नि0वि0, सोनभद्र
सहायक अभियन्ता नि0ख0, लो0नि0वि0, सोनभद्र	प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा, वन प्रभाग सोनभद्र	अधिशासी अभियन्ता नि0ख0, लो0नि0वि0, सोनभद्र	

अनापत्ति प्रमाण---पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित कार्य सतद्वारी प्राइमरी पाठशाला से सरैया कनहर नदी तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के संरेखण मे पडने वाली ओबरा वन प्रभाग की 4.63 हे0 वन भूमि के सम्बन्ध में गाम पंचायत 9526 की पूर्ण सहमति है, जिसमें ग्राम पंचायत कों कोई आपत्ति नही है।

दिनांक 27.06.14

भवदीय

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र द्वारा वनभूमि ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में विकास खण्ड चोपन के अन्तर्गत सतद्वारी प्राइमरी पाठशाला से सरैया कनहर नदी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण हेतु लम्बाई– 6.90 किमी0 तथा 4.83 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार /उ0प्र0, सरकार द्वारा जो भी शर्तें लगायी जायेगी उसका अनुपालन लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने हेतु बचनबद्व है।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0,
सोनभद्र

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र द्वारा वनभूमि ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में विकास खण्ड चोपन के अन्तर्गत सतद्वारी प्राइमरी पाठशाला से सरैया कनहर नदी तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 6.90 किमी0 तथा 4.83 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार / उ0प्र0, सरकार द्वारा जो भी एन0पी0बी0 की धनराशि निर्धारित की जायेगी लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा जमा किया जायेगा।

हस्ताक्षर

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0,
सोनभद्र

लाभान्वित होने वाले ग्रामों का विवरण

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	परिवारों की संख्या	आबदी
1	भालू कुदर		
2	कचनरवा		9284
3	रामगढ.		3256
4	नौडिहा		2252
5	निगाई		4368
6	सरैयाडीह		825
7	केवाल		552
8	पिपरखाड.		4168

इनके अलवा वर्णन करना है कि यह मार्ग नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अन्तरगत इण्टर स्टेट कनेक्टीविटी के अन्तरगत स्वीकृत है । अतः इस मार्ग की स्वीकृत हेतु आवादी को मादण्ड बनाया गया है ।

सहायक अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0
सोनभद्र

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0
सोनभद्र

s